

2022/444

फर्द अहकाम

(नियम-13)


(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना
 बनाम बिरदाराम
 सं. 262 सन्. 2022
 53,80,100 Rupee


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

अस्य यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के
 विरुद्ध अ. / धारा 27, 88, 10 के पेश किया
 दर्ज हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो।
 मिसल दिनांक: 23/8/22 को पेश हो।



 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

23/8/22 पत्रावली पेश हुई। क्लीक वादी
 उपस्थित। प्रतिवादीगण के P/F
 सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते
 तलबी दिनांक 10/10/22 को पेश हो।



10/10/22

पत्रावली पेश हुई। शौचान P.O. सा. अवकाश,
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 22/12/22 को पेश हो।

U.T.
 प्रतिवादी सं. 4, 5, 7, 8
 की ओर से
 (शौरभ)


22/12/22


पत्रावली पेश हुई। क्लीक वादी उप
 प्रतिवादीगण के सम्मन तलबाना पेश
 करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक
 15/12/22 को पेश हो।



3/2/23

वकील वकी के अन्दर पर प्रशासकी आण्ड
 पैरा 2 के वकील स्वयं उपाय वकील कर्तव्य
 के अर्थगत पर पैरा 2 के अन्दर उपाय
 कि पसकारा के मध्य राजीनामा के उपाय
 के तथा इस प्रकार के काम पसकारा
 नहीं करते हैं यत्र जहाँ विद्वेष वकील
 का वरद खासतौर पर निकाला है।

गणपत राम


 (महेन्द्र सिंह)
 Adv.

वकील वकी के सुना गया।
 के उपाय का अन्तर्गत उपाय। वकील
 वकील के वरद के पसकारा नहीं करते हैं
 यत्र वकील का वरद जहाँ विद्वेष
 खासतौर पर निकाला है प्रशासकी के
 सुधार होकर अधिक दण्ड है।

सहायक कलेक्टर
 हीडवाना (नागौर)